अध्याय

7 सहकारिता

यह तो आप सभी को पता ही है कि हमें अपनी–अपनी ज़िंदगी में अलग–अलग कार्य करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें हम अकेले कर सकते हैं या शायद अकेले करना ही पसन्द करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो समूह में करने पर अधिक रोचक और आसान बन जाते हैं।

(1) (2)

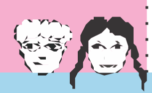

ऊपर दिये गये स्थान में दो ऐसे कार्यों को दर्शायें जो आप
(1) अकेले करते हैं (2) जिसे औरों के साथ मिलकर ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है।

आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर भला यह सहकारिता क्या चीज़ है।

Developed by: ABSOL www.absol.in

आइये इसे समझने के लिए हम मधुरापुर की कहानी को पढ़ते हैं।

मधुरापुर की कहानी

वैशाली ज़िले का एक छोटा–सा गाँव है, मधुरापुर। इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। यहां कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं लेकिन इनमें से केले की खेती प्रमुख है। केले की खेती की उपज बढ़ाने के लिए मवेशी खाद न केवल लाभदायक बल्कि अनिवार्य भी होती है। इसलिए यहां प्रायः सभी लोग खेती के साथ–साथ पशुपालन भी करते हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि अधिकांश घरों में पशुपालन की वजह से यहां दूध का उत्पादन उसकी खपत से कहीं ज़्यादा होता है।

कुछ समय पहले तक दुग्ध उत्पादक अपने दूध को पास के बाज़ार में या शहर में बेचने ले जाते थे जहां मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार इसे खरीदते थे। लेकिन गांव से शहर में दूध लाकर बेचना काफी कठिन था, क्योंकि इसमें दूध के खराब होने की संभावना रहती थी। इसके अलावा, कुछ दूध उत्पादक गांव में ही किसी अन्य (दूधिया) को अपना दूध काफी कम मूल्य पर बेच देते थे। यह बीच का आदमी (दूधिया) उसी दूध को शहर में अधिक दाम पर बेचता था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध उत्पादक परिवारों को अपने दूध व अपनी मेहनत का बहुत कम मूल्य मिलता था, मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना की गई। यह समिति ज़िला स्तर पर वैशाल पाटलिपुत्रा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है, जिसे हम पटना डेयरी के नाम

से भी जानते हैं, के साथ जुड़कर काम करती है।

दूध का उचित मूल्य न मिलने और बिक्री में होने वाली असुविधा की समस्या सिर्फ किसी एक परिवार की नहीं थी, बल्कि सभी दूध उत्पादकों की थी। कोई भी अकेले इस समस्या का हल नहीं ढूंढ़ सका। इसलिए इस समस्या का हल लोगों ने सहकारी समिति बना कर ढूंढ़ा जो कि सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखती है। सहकारी समिति बनने से लोगों की दूधियों पर निर्भरता भी खत्म हो गई। इस समिति का सदस्य बनने से वे लोग अब अपना दूध यहां आसानी से बेच सकते हैं और समिति को उनका दूध अनिवार्य रूप से खरीदना है। सहकारी समिति का सदस्य होने के नाते यह उनका हक बनता है।

वर्तमान समय में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में लगभग 400 सदस्य हैं। सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये का शेयर लेना होता है तथा एक रुपया प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। 400 सदस्यों वाली इस संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी सदस्य आपस में मिलकर एक कार्यकारिणी का गठन करते हैं। इसमें 13 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। कार्यकारिणी के गठन के उपरांत इस कार्यकारिणी के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

कार्यकारिणी की देखरेख में ही समिति का संचालन होता है। समिति के सदस्यों द्वारा जमा की गई शेयर व सदस्यता शुल्क राशि आरंभिक पूंजी के रूप में काम आती है। इस राशि से दूध की गुणवत्ता जांचने के यंत्र, दूध संग्रह हेतु

दूध की जाँच

दूध संग्रहण केन्द्र

बर्तन तथा दूध मापने के उपकरण आदि खरीदे जाते हैं। कार्यकारिणी के मुख्य काम, समिति के सारे कामों की व्यवस्था करना जैसे दुकान को समय पर खोलना, दूध की जांच करना एवं उसे पटना डेयरी पहुंचाना, इत्यादि होते हैं।

1. मधुरापुर में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने से पहले दूध को
   बेचने व खरीदने की क्या व्यवस्था थी?
2. सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी क्यों बनाई जाती है?
3. दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद दूध उत्पादक परिवारों के जीवन में

इस समिति से जुड़ने के बाद यहां की दुग्ध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार दिखने लगा है। अब उन्हें अपने दूध का निश्चित ग्राहक जो मिल गया है जो उन्हें उनके दूध की पूरी व सही कीमत देता है। दूध को बेचने के लिए अब उन्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता।

सहकारिता की ज़रूरत क्यों

सहकारिता शब्दों दो शब्द के योग से बना है 'सह' तथा 'कारिता'। सह का अर्थ है मिलकर तथा कार का अर्थ है, कार्य। इस प्रकार सहकारिता का मूलमंत्र है, मिल–जुल कर काम करना। इसमें लोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति एवं उन्नति के लिए, अपनी इच्छा से, परस्पर मिल कर काम करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है, जिस कार्य को लोग अकेले न कर सकें, उसे मिलकर करते हैं। कम मात्रा में उत्पाद को अकेले उचित मूल्य पर बेचना प्रायः संभव नहीं हो पाता, जबकि सभी के उत्पाद को सहकारिता के द्वारा एकत्रित करके उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। इससे लोगों की आर्थिक कमज़ोरी भी दूर होती है। आइये यह समझने का प्रयास करते हैं कि सहकारी समितियों की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे काम करती हैं। इस बात को कुछ अन्य उदाहरणों की मदद से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं।

प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)

सरकार द्वारा पैक्स (Primary Agricultural Credit Co- operative Society) का गठन कृषकों के कल्याण तथा उनकी कृषि सम्बंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य करता है।

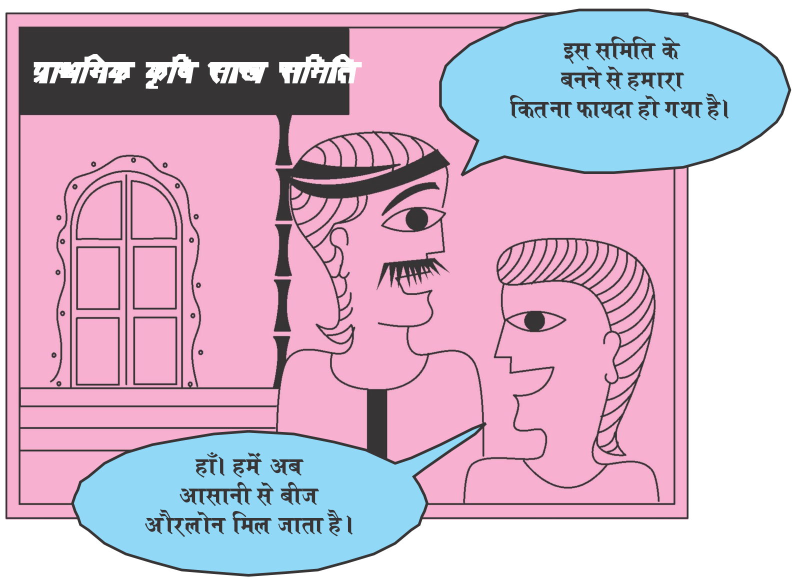

पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करते हैं। आवश्यकता होने पर सदस्यों को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पैक्सों के पास यह राशि सदस्यों के जमा बचत तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से आती है। पैक्स के द्वारा उचित दर पर ऋण मिलने से किसान ऋण के लिए महाजनों के चंगुल में

1. पैक्स के सदस्य कौन होते हैं?
2. ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहां से आता है?
3. ऋण देने के अलावा पैक्स और कौन से कार्य करती है?
4. पैक्स के कारण किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति कैसे मिलती है?
5. पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को क्या फायदा होता है?
6. पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं?
7. सरकार कमज़ोर वर्गों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्या करती है? अपनी

फँसने से बच जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पैक्स के माध्यम से किसानों को उचित दर पर सही खाद और बीज उपलब्ध होते हैं। साथ ही पैक्स यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाये। वर्तमान समय में राज्य के सभी 8463 पंचायतों में एक–एक पैक्स कार्यरत है जिसकी कुल सदस्यता लगभग 96.42 लाख है।

उपभोक्ता सहकारी समिति

इस प्रकार की समिति की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। समिति के सदस्यों के द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठा होती है, उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है।

1. उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियां क्यों बनाई जाती हैं?
2. इसके सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है?
3. थोक व्यापारी या उत्पादक से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहां से आती है?
4. चर्चा कर पता करें – थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु बाज़ार

आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियां हैं? एक सूची बनाएं। फिर टोली बनाकर नीचे दिये गये बिन्दुओं पर इनके बारे में जानकारी ढूंढ़िये और अपनी एक रिपोर्ट बनाकर कक्षा में पेश कीजिये।

1. आपके इलाके की सहकारी समिति के सदस्य कौन हैं?
2. सदस्य मिलकर क्या करते हैं?
3. इससे क्या लाभ होता है?

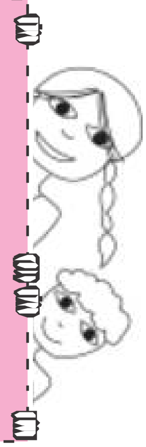

इस तरह सामग्री सीधे खरीदे जाने के कारण वस्तु का मूल्य खुदरा बाज़ार से काफी कम होता है। वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने के कारण यहां बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसका एक और फायदा यह भी होता है कि इससे समिति सदस्यों को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अच्छी वस्तु उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार ये समितियाँ वित्तीय आधार पर कमज़ोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किये जाने वाले शोषण से बचाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहकारी समितियों की स्थापना किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक समस्याओं का समाधान निकालने और वहां के लोगों की जीविका या रोज़मर्रा के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं या मुश्किलों को कम करने के लिए किया जाता है।

सहकारी समिति की विशेषताएं एवं कमज़ोरियां

अभी तक हमने देखा कि सहकारी समिति अपने सदस्यों के हितों व उनकी आर्थिक

उन्नति के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। इन समितियों का काम निजी व्यवसाय से अलग है। इसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक हित पर ज़ोर दिया जाता है।

सबके लिए सदस्यता

सहकारी समिति का गठन तथा इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति आदि का कोई बन्धन नहीं है। अर्थात् इसकी सदस्यता खुली होती है। सदस्यों का उद्देश्य वही होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए समिति बनायी गयी है।

> अपनी शिक्षिका व घर के सदस्यों से चर्चा करके बिहार मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कारण ढूंढ़िए।

इसके बावजूद कई बार कुछ समितियों में ऐसे सदस्य भी सदस्यता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो इसके पात्र नहीं होते हैं। ये लोग झूठ बोलकर या असत्य दस्तावेज़ के बल पर समिति के सदस्य बन जाते हैं। ऐसे छद्म सदस्यों के कारण समिति के गठन का उद्देश्य भी प्रभावित होने लगता है। ऐसे सदस्य समिति के द्वारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होने लगते हैं। इससे समिति का विकास होने की बजाय उसमें गिरावट आने लगती है। बिहार में मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कुछ कारण ये भी हैं।

समानता

सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जहां व्यापारिक संगठनों का प्रबन्धन कुशल व उच्च वेतन भोगी प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है, वहीं सहकारी व्यवस्था में सदस्यों की भागीदारी पर ज़ोर दिया जाता है।

इसका प्रबन्धन स्वयं सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है। इसके प्रबन्ध के लिए एक कार्यकारिणी बना दी जाती है जिनके सदस्यों का चुनाव आम सभा के मतों के आधार पर होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है।

मधुरापुर की कहानी में भी आपने देखा कि मधुरापुर दुग्ध उत्पादन समिति में भी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए सदस्यों के मतों के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से एक 13 सदस्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

लेकिन समिति में जब ऐसे सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती हैं जो गलत ढंग से सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं तो समिति का लोकतांत्रिक स्वरूप नष्ट हो जाता है। ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मनचाहा कार्यकारिणी का गठन कर लेते हैं। इससे सहकारी समिति अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हो जाती है और कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथ की कठपुतली बन जाती है।

बिहार में कई सहकारी समितियां इस कारण असफल रही हैं। मत्स्यजीवी सहकारी समिति इसका प्रमुख उदाहरण है। बिहार में सरकारी तालाबों की

1. संचित कोष की ज़रूरत क्यों हैं ?

2. आपके अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियाँ किस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करती हैं?

गरीब मछुआरों का शोषण करते हैं।

लाभ का विभाजन

सहकारी समिति की एक और विशेषता है कि इसके लाभ का न्यायपूर्ण वितरण सभी सदस्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में भी शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत संचित कोष में जमा किया जाता है। संचित निधि का उपयोग समिति की बेहतरी के लिए नई मशीनें या सामग्री खरीदने तथा आकस्मिक खर्चों में किया जाता है। शेष 75 प्रतिशत सदस्य किसानों को बोनस देने एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं? वे मिलकर क्या करते हैं? इससे क्या लाभ होता है?

2. सहकारिता से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। सहकारी समितियां बनने से पहले, इनसे सम्बंधित लोगों को किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? इनके बनने के बाद, ये कठिनाइयां कैसे दूर हो पाईं?

3. अध्याय में जिन तीन सहकारी समितियों की बात की गई है, उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों?

4. सहकारी समितियों के काम–काज में कौन–कौन सी मुश्किलें आती हैं? आपके

सहकारी समिति का नाम	**सदस्य कौन होते हैं**	**मिलकर क्या करते हैं इसके लाभ**	**समस्याएँ**
मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति		दूध के विक्रय तथा उचित मूल्य की व्यवस्था	
उपभोक्ता सहकारी समिति			अकुशल प्रबन्धन
पैक्स			पूंजी की कमी